राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1818/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
भागीरथ सिंह 67&ए 68] रिद्धु नगर] मैन गोविन्दपुरा] निवारू लिंक रोड निवारू], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 12/04/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से डॉ. रामावतार शर्मा, सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 21-6-17 के द्वारा कांवटिया अस्पताल में दिनांक 16-5-15 को प्रातः 10.00 बजे से पुलिस थाना करधनी द्वारा जिन व्यक्तियों का मेडिकल करवाया गया उन व्यक्तियों की सूची एवं मेडिकल रिपोर्ट तथा दिनांक 16-5-15 या 17-5-15 को एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती श्री सुरजन सिंह/ बाल सिंह के इलाज एवं डिस्चार्ज की पत्रावली के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 29-7-17 से संसूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ई) के तहत देय सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त विनिश्चय को उचित पाते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने निर्णय दिनांक 14-12-17 से प्रथम अपील खारिज कर दी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 26-3-18 मय संलग्रक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ई) एवं (जे) सपठित धारा 11 के तहत अदेय सूचना की श्रेणी में आती है, अतः सूचना के आवेदन के अनुक्रम में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय तथा प्रथम अपीलीय निर्णय उचित है इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त